

16-01-24 पत्रावली पेक्षा। वकील उभयपक्ष उफे। अदर
सुनी गई। अदर पर मनन करके एवे पत्रावली का
अवलोकन करने पर प्राथमिकता का प्राथमिकता स्वीकार
योग्य होने पर स्वीकार किया जाते ही विस्तृत निर्णय
पृथक से लिखा जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली
आदि तारीख नकली होने का साक्ष्य स्फुट है।

निर्णय लिखा जाकर सुठे न्यायालय में सुनाया गया।


(अमित विश्वा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना